



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 202 राँची, सोमवार,

3 अप्रैल, 2023 (ई०)

श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या-01/श्रमा०का०स्था०-20-17/2008 श्र०नि०-623--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल श्रम,नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड,राँची की अधिसूचना संख्या-01/श्रमा०का०स्था०-20-17/2008 श्र०नि०129 दिनांक-31.01.2022 के द्वारा गठित झारखण्ड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली,2021 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम,विस्तार एवं प्रारम्भ-

- यह नियमावली "झारखण्ड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जाएगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. झारखण्ड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 के नियम 8(1) में वर्णित प्रावधान- “शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परंतु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से अच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा” को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।”

3. उक्त नियमावली के नियम-7 एवं 11 में अंकित “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021” को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“झारखण्ड कर्मचारीचयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित)।”

4. झारखण्ड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा इसके शेष अंश यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के सचिव।
